न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — रामचरण शर्मा (आरएएस)

प्रकरण संख्या– 2/17

राजस्थान सरकार जर्ये पुलिस अधीक्षक झालवाड़

बनाम

शकिल अहमद आ0 दाउद खॉ मुसलमान निवासी बांगडसी थाना खानपुर।

अन्तर्गत राजस्थान अभ्यासित अपरानी अधिनियम 1953 की धारा 3

निर्णय

दिनांक 24.01.2019

थानाधिकारी खानपुर के द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3,5 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के माध्यम से इस न्यायालय में गैर सायल शकिल अहमद आ0 दाउद खॉ मुसलमान निवासी बांगडसी थाना खानपुर के विरूद्व जर्ये सहायक लोक अभियोजक झालावाड़ इस आशय का पेश किया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैर सायल निरंतर शरीर संबंधी व सम्पत्ति संबंधी अपराध की घटनाऐं करित कर रहा है तथा कई प्रकरणों में सजायाब रहकर सजा भुगत चुका है। परन्तु समस्त प्रयासों के बावजूद भी गैर सायल जेल से बाहर आते ही भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 12,16 व 17 में वर्णित अपराध करना शुरू कर देता है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त गैर सायल को 5 वर्षो के अन्दर 3 प्रकरणों में दोषी करार देकर कठोर कारावास, साधारण करावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्व समाज के आम नागरिक भी रिपोर्ट लिखवाने अथवा गवाही देने से कतराते है, इसका भय समाज में व्याप्त है, गैर सायल के विरूद्व राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3,5 के तहत कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

गैर सायल के विरूद्व इस्तगासे में अंकित निम्न अपराध दर्ज करना, सजायाफ्त होना थानाधिकारी के द्वारा अंकित किया है:–

क0स0	प्रकरण संख्या	धारा	सजा
1	33/12.02.05	379 भा0द0स0	एक वर्ष का साधारण कारावास व 3000रू0 के अर्थदण्ड से सजायाफ्त किया गया ।
2	154/02.03.09	379 भा0द0स0	दो वर्ष का कठोर कारावास व 1000रू0 के अर्थदण्ड से सजायाफ्त किया गया

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

P.T.O.

3	184 / 13.03.09	379 भा0द0स0	एक वर्ष का कठोर कारावास व 500रू0 के अर्थदण्ड से सजायाफ्त किया गया

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ गैर सायल की ओर से विद्वान वकील श्री राजेश गुप्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया लगभग एक वर्ष का समय दिये जाने के बावजूद भी विद्वान अभिभाषक जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहे एवं गैर सायल वकील गैर सायल लगभग तीन माह से न्यायालय में उपस्थित भी नही हुवे। अतः प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुवे पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन एवं परीक्षण के पश्चात गैर सायल, राजस्थान आभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (क) में परिभाषित अनुसार अभ्यासिक अपराधी की श्रेणी में आना प्रकट होता है। गैर सायल के विरूद्व जिला झालावाड़ के थानो में 26 प्रकरण दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में चालान पेश हो चुका है जिनमें से तीन प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुए जिनमें गैर सायल को दोषसिद्व किया जाकर कठोर/साधारण कारावास एवं जुर्मान से दण्डित किया गया है। ऐसी दशा में गैर सायल राजस्थान आभ्यासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 2 (क) में परिभाषित आभ्यासित अपराधी साबित होता है।

अतः राजस्थान आभयासित अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3 के तहत गैर सायल का नाम उक्त अधिनियम द्वारा विहित रजिस्टर में आभ्यासित अपराधी के रूप में दर्ज करने एवं गैर सायल के अंगुली एवं हथेली–चिह्न, पद चिह्न एवं फोटोग्राफ आदि लिए जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेशित किया जाता है। साथ ही गैर सायल उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत , अपने सामान्य निवास के परिवर्तन की सूचना भी संबंधित थानाधिकारी को अनिवार्य रूप से देने हेतु आबद्ध रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24.01.19 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़